Machine Translated by Google

राज्यपाल द्वारा मूल नियमावली के नियम 6 व 7 तथा उत्तर प्रदेश शासन के नियम 6 व 7 के तहत जारी किये गये आदेश।

मौलिक नियम क्रमशः भाग I और II में निहित हैं।

1. (ए) विवरण I सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारियों की एक सूची है, जिन्हें इस खंड के भाग I, II और III में नियमों के तहत किए गए प्रतिनिधिमंडलों के संबंध में विभाग के प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। .

(बी) कथन II उन अधिकारियों की एक सूची है जिन्हें कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में किसी विभाग के प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है।

(सी) विवरण III भाग I और II में निहित मूल नियमों के नियम 6 और उत्तर प्रदेश मूल नियमों के नियम 6 के तहत राज्यपाल द्वारा किए गए शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सूची है। विवरण IV भाग III में सहायक नियमों के तहत किए गए प्रतिनिधिमंडलों की एक सूची है।

2. कथन III और IV में सरकार के प्रशासनिक विभागों को सौंपी गई शक्तियाँ भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश मूल नियमावली के भाग I और II में मूल नियमावली के नियम 7 और उत्तर प्रदेश मूलनियमावली के नियम 5 में संदर्भित अधिनियम की धारा 59(बी) के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के संदर्भ में, बयानों में प्रतिनिधिमंडलों को एकमात्र मामले के रूप में माना जाना चाहिए जिसमें वित्त विभाग ने घोषणा की है कि उसकी सहमति को बयान III और IV में निर्दिष्ट शक्तियों के प्रशासनिक विभागों द्वारा अभ्यास के लिए दिया गया माना जा सकता है।

3. बयानों में दिए गए प्रतिनिधिमंडल निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

(ए) किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी जिसमें व्यय शामिल हो सकता है, तभी प्रभावी हो जाता है जब इसे पूरा करने के लिए धन आवंटित किया जाता है। प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत दी गई मंजूरी देने वाले आदेशों में यह दर्शाया जाना चाहिए कि इसमें शामिल व्यय (यदि कोई हो) कैसे पूरा किया जाएगा।

(बी) किसी प्राधिकारी द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग केवल उन सरकारी सेवकों के संबंध में किया जा सकता है जो उस प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

(सी) प्रत्यायोजित प्रत्येक शक्ति की प्रकृति कथनों के कॉलम 3 में दिखाई गई है।
प्रत्यायोजन का विस्तार केवल इस प्रकार निर्दिष्ट शक्ति तक है, न कि कॉलम 2 में उद्धृत नियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य शक्ति तक।

(डी) यदि, जैसा भी मामला हो, मौलिक नियमों या उत्तर प्रदेश मौलिक नियमों या सहायक नियमों के तहत सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, बयानों में नहीं दिखाई गई है, तो यह समझा जाना चाहिए कि ऐसे जैसा भी मामला हो, सरकार या अन्य प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को शक्ति नहीं सौंपी गई है।

Machine Translated by Google

(ई) किसी प्राधिकारी को सौंपी गई किसी भी शक्ति का प्रयोग उसी विभाग में ऐसे प्राधिकारी से उच्चतर किसी प्राधिकारी द्वारा और संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा भी किया जा सकता है, और ऐसा कोई भी उच्च प्राधिकारी या संबंधित प्रशासनिक विभाग पारित किए गए किसी भी आदेश को संशोधित या रद्द कर सकता है। एक निचले प्राधिकारी द्वारा.

(एफ) बयानों में शामिल कुछ भी अधिनियम के तहत बनाए गए अन्य नियमों द्वारा किसी भी प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए काम नहीं करेगा।

कथन I

इस खंड के भाग I में मौलिक नियमों, भाग II में उत्तर प्रदेश मौलिक नियमों और भाग III में सहायक नियमों के प्रयोजन के लिए विभागों के प्रमुख घोषित किए गए अधिकारियों की सूची।

(1) राजस्व मंडल।

(2) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(3) आरटी. रेवड. लखनऊ के बिशप.

(4) मंडलों के आयुक्त जिनमें झाँसी मंडल के प्रभारी कलेक्टर और कुमाऊँ मंडल के प्रभारी उपायुक्त शामिल हैं।

(5) मुख्य वन संरक्षक।

(6) मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग।

(7) शिक्षा निदेशक।

(8) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक।

(9) पुलिस महानिरीक्षक.

(10) कारागार महानिरीक्षक.

(11) कानूनी स्मरणकर्ता।

(12) वन संरक्षक।

(13) अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग।

(14) मुख्य अभियंता, स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग।

Machine Translated by Google

(15) कृषि निदेशक।

(16) उद्योग निदेशक।

(17) उत्पाद शुल्क आयुक्त।

(18) महानिरीक्षक पंजीयन।

(19) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां।

(20) पशुपालन निदेशक।

(21) भूमि अभिलेख निदेशक।

(22) निपटान आयुक्त।

(23) अधीक्षण अभियंता विद्युत, विभाग।

(24) महाधिवक्ता.

(25) सरकार के सचिव।

(26) श्रम आयुक्त.

(27)ग्रामीण विकास अधिकारी।

(28) मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, उद्योग विभाग।

(29) गन्ना आयुक्त.

(30) आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक सांख्यिकी, उत्तर प्रदेश।

(31) प्राचार्य पशुचिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा।

(32) पंचायत निदेशक।

(33) विद्युत निरीक्षक, शासन, उत्तर प्रदेश।

(34) निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(35) चकबन्दी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।

(36) निदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(37) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(38) सचिव, उत्तर प्रदेश, विधान मण्डल।

Machine Translated by Google

(39) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(40) अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(41) निदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल।

(42) मुख्य वित्त अधिकारी, जिला परिषदें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(43) निदेशक, उप्र राज्य वेधशाला, नैनी ताल।

(44) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(45) निदेशक सतर्कता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(46) अध्यक्ष एवं सदस्य, प्रशासनिक अधिकरण, उत्तर प्रदेश एवं अध्यक्ष, सतर्कता आयोग, लखनऊ।

(47) निदेशक, नागरिक सुरक्षा-सह-कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

(48) निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोगिता, उत्तर प्रदेश।

(49) रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसायटीज एण्ड चिट्स, उत्तर प्रदेश।

कथन II

उन प्राधिकारियों की सूची जो विवरण III और IV में शामिल कुछ वस्तुओं के संबंध में विभागों के प्रमुखों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त हैं।

1.	राज्यपाल के सचिव और सैन्य सचिव।	कथन III के आइटम 3 और 5 और कथन IV के आइटम 11, 13 और 18।
2.	परीक्षक, स्थानीय निधि।	
3.	कार्यालयों के मुख्य निरीक्षक.	

कथन III

Machine Translated by Google

उन अधिकारियों को दर्शाने वाला विवरण जिन्हें राज्यपाल द्वारा मौलिक नियमों और उत्तर प्रदेश मौलिक नियमों के कुछ नियमों के तहत शक्तियां सौंपी गई हैं।

नोट-इस विवरण के कॉलम 2 में किसी भी नियम के संदर्भ को राज्य सचिव के अधिकारियों के संबंध में भाग I में मौलिक नियमों के नियम और भाग II में उत्तर प्रदेश मौलिक नियमों के नियमों के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। राज्यपाल की नियम-निर्माण शक्ति के अंतर्गत सरकारी सेवकों का सम्मान।

क्रम संख्या	नियम की संख्या	शक्ति की प्रकृति	प्राधिकारी जिसे शक्ति सौंपी गई है	प्रत्यायोजित शक्ति की सीमा
1	2	3	4	5
1	9(19)	किसी रिक्त स्थान पर कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारी को नियुक्त करने की शक्ति डाक।	कोई भी प्राधिकारी जिसके पास अवकाश रिक्ति में (उदाहरण के लिए) पद पर स्थानापन्न नियुक्ति करने की शक्ति है।	पूरी ताकत।
2	10	व्यक्तिगत मामलों में सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले फिटनेस के मेडिकल प्रमाण पत्र से छूट देने की शक्ति।	सरकार का विभाग.	ठीक इसी प्रकार से
2-एक	10	की वास्तविक नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से शारीरिक फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट देने की शक्ति	विभागाध्यक्ष.	पूर्ण शक्ति, नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन: (1)मौलिक नियुक्ति से पूर्व दी गई सेवा निरंतर होनी चाहिए
		ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने अस्थायी क्षमता में अपनी प्रारंभिक भर्ती के समय या अपनी अस्थायी नियुक्ति के दौरान यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है।		(2) प्रारम्भिक समय में की गई चिकित्सीय जांच अस्थायी नियुक्ति या सेवाकाल के दौरान निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई हो

Machine Translated by Google

				जिस पद पर मौलिक नियुक्ति की जानी है उसके लिए निर्धारित फिटनेस मानक।
4	14	किसी पद पर सरकारी सेवक के ग्रहणाधिकार को निलंबित करने और उसे अनंतिम रूप से भरने की शक्ति।	जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	अनुसचिवीय और अवर सरकारी सेवकों के मामले में पूर्ण शक्ति, बशर्ते कि उनके पास उस पद पर वास्तविक नियुक्ति करने की शक्ति हो जिस पर ग्रहणाधिकार है।
5	14	किसी पद पर सरकारी सेवक के ग्रहणाधिकार को निलंबित करने और उसे अनंतिम रूप से भरने की शक्ति।	जिला अधिकारी	अनुसचिवीय और अवर सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ, जिनका नियुक्ति प्राधिकारी जिला अधिकारी है।
6	14बी	सरकारी सेवक के ग्रहणाधिकार को एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित करने की शक्ति।	सरकार के विभाग और विभागाध्यक्ष.	पूर्ण शक्ति, बशर्ते कि वे संबंधित दोनों पदों पर वास्तविक नियुक्ति करने के लिए अधिकृत हों।
7	14बी	सरकारी सेवक के ग्रहणाधिकार को एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित करने की शक्ति।	जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	मंत्रिस्तरीय और अवर के मामले में पूर्ण शक्ति सरकारी सेवकों को, बशर्ते कि वे संबंधित दोनों पदों पर मौलिक नियुक्ति करने के लिए अधिकृत हों।
8	19	विशेष वेतन देने की शक्ति.	वित्तीय हैंडबुक, खंड I में कथन XIV देखें।	वित्तीय हैंडबुक, खंड I में कथन XIV देखें।
9	24	वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति.	कोई भी प्राधिकारी जिसके पास कोई ठोस निर्णय लेने की शक्ति है	पूरी ताकत।

Machine Translated by Google

			उस पद पर नियुक्ति जो सरकारी सेवक धारण करता है।	
10	24	के सदस्यों की वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा में	संबंधित अधीक्षण अभियंता।	पूरी ताकत।
		लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क और सिंचाई शाखाएँ।		
11	24	सिविल सशस्त्र और घुड़सवार पुलिस उप-निरीक्षकों और राजकीय रेलवे पुलिस में उप-निरीक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति।	पुलिस अधीक्षक और राजकीय रेलवे पुलिस के अनुभाग अधिकारी।	पूरी ताकत।
12	26(बी)	यह निर्देश देने की शक्ति कि उच्च और वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए ली गई असाधारण छुट्टी के अलावा अन्य असाधारण छुट्टी को वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा।	सरकार के विभाग.	पूरी ताकत।
13	27	उन व्यक्तियों को समय से पहले वेतन वृद्धि देने की शक्ति, जिन्होंने एक बार पुलिस बल में अपनी नियुक्तियों से इस्तीफा दे दिया था, उन्हें पुलिस विनियमों के अनुच्छेद 393 के प्रावधानों के अनुसार फिर से भर्ती किया गया है।	पुलिस अधीक्षक.	इस शक्ति का प्रयोग इस शर्त के अधीन है कि केवल वे पुरुष जिनका पिछला रिकॉर्ड स्पष्ट था और जिनके पास इस्तीफा देने के अच्छे कारण थे, उन्हें फिर से भर्ती किया जाता है और अग्रिम वेतन वृद्धि उस राशि तक सीमित होती है जो एक पुन: भर्ती कांस्टेबल को प्राप्त होती यदि उसकी सेवा पहले होती।

Machine Translated by Google

				इस्तीफे को उत्तर प्रदेश मूल नियमावली के नियम 22 के तहत वेतन वृद्धि में गिना गया था।
14	27	(ए) समय से पहले वेतन वृद्धि देने की शक्ति-	निपटान एवं पुनरीक्षण अधिकारी।	इस शक्ति का प्रयोग इसके अधीन है
		पूर्व-सेटलमेंट कर्मचारियों को वेतन का विवरण, जो किसी सरकारी कार्यालय या गैर-सरकारी कार्यालय (जैसे कोर्ट ऑफ वार्ड्स) में मूल रूप से या अन्यथा कोई पद रखते हैं, और एक सेटलमेंट कार्यालय में फिर से नियोजित होते हैं।		निम्नलिखित शर्तें: (1) समय से पहले वेतन वृद्धि की संख्या पिछले निपटान में उसी श्रेणी के पद पर या उस पद की तुलना में उच्च श्रेणी के पद पर प्रदान की गई सेवा के पूर्ण वर्षों की संख्या से अधिक नहीं है जिसमें सरकारी कर्मचारी फिर से नियोजित है;
				(2) ऐसी समयपूर्व वेतन वृद्धि की संख्या चार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
				(3) प्रारंभिक वेतन समय-मान के अधिकतम से अधिक नहीं है डाक।
		(बी) उपरोक्त (ए) में शामिल नहीं किए गए पूर्व-सेटलमेंट कर्मचारियों को समय से पहले वेतन वृद्धि देने की शक्ति, बशर्ते उनकी पिछली सेवा वास्तव में इस रियायत के योग्य हो।	निपटान एवं पुनरीक्षण अधिकारी।	इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन है: (1) समय से पहले वेतन वृद्धि की संख्या संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए

Machine Translated by Google

				पिछले वर्षों का निपटान सेवा;
				(2) पिछला निपटान सेवा दो से कम नहीं है साल;
				(3) समय से पहले वेतन वृद्धि की संख्या चार से अधिक नहीं होनी चाहिए;
				(4) प्रारंभिक वेतन समय- मान के अधिकतम से अधिक नहीं है डाक।
		(सी) अनुदान देने की शक्ति समय से पहले वेतन वृद्धि पूर्ण करने के लिए-	निपटान एवं पुनरीक्षण अधिकारी.	इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित के अधीन है-
		निपटान कर्मचारी, जो निपटान विभाग में एक महत्वपूर्ण पद पर रहने के बाद, सजा के उपाय के अलावा, उसी श्रेणी के पदों में निचले पद पर स्थानांतरित हो जाते हैं, या सेवामुक्त होने के बाद फिर से नियोजित हो जाते हैं।		आईएनजी शर्तें: (1) प्रारंभिक वेतन निचले पद के समय-मान वेतन के एक चरण में उस वेतन के बराबर तय किया जा सकता है जो अधिकारी उच्च पद पर अंतिम बार प्राप्त कर रहा था या यदि वेतनमान में ऐसा कोई चरण नहीं है निचले पद के वेतन का, तो उसका वेतन अगले निचले चरण में तय किया जाना चाहिए और साथ ही उच्च पद पर अंतिम आहरित वेतन और निचले पद के चरण जिस पर उसका वेतन तय किया गया है, के बीच के अंतर के बराबर व्यक्तिगत वेतन होना चाहिए;
				(2) निचले पद पर कुल वेतन से अधिक न हो

Machine Translated by Google

				पद का अधिकतम वेतन; (3) क्षेत्रीय अमीन आदि जैसे मौसमी पदों पर सेवा को ध्यान में नहीं रखा जाता है यदि ऐसे पदों को रखने वाले व्यक्तियों को निपटान में लिपिक पदों पर फिर से नियोजित किया जाता है, लेकिन इसे ध्यान में रखा जा सकता है यदि ऐसा हो व्यक्तियों को क्षेत्रीय पदों पर पुनः नियोजित किया जाता है; (4) समझौते का अनुमोदन प्रत्येक में आयुक्त प्राप्त होता है मामला।
15	33	किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन निश्चित सीमा के भीतर निर्धारित करने की शक्ति	(1) सरकार के विभाग।	केवल अराजपत्रित सरकारी सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्ति।
		किसी ऐसे पद पर कार्य करना जिसका वेतन व्यक्तिगत हो।		
			(2) विभागाध्यक्ष।	अपने अधीनस्थ अराजपत्रित शासकीय सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ।
16	35	स्थानापन्न सरकारी कर्मचारी का वेतन कम करने की शक्ति।	कोई भी प्राधिकारी जिसके पास पद पर स्थानापन्न नियुक्ति करने की शक्ति है।	पूरी ताकत।
17	36	प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों और अधीनस्थों के स्थान पर स्थानापन्न व्यवस्था करने की शक्ति	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक.	उन मामलों में पूर्ण शक्ति जहां व्यवस्था में उत्तर प्रदेश चिकित्सा सेवा के सदस्य की पोस्टिंग शामिल नहीं है।

Machine Translated by Google

		एक्स-रे संस्थान, देहरादून।		
		में स्थानापन्न व्यवस्था करने की शक्ति	पुलिस महानिरीक्षक.	पूरी ताकत।
		आपराधिक जांच विभाग और खुफिया विभाग में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त पुलिस उप- निरीक्षकों का स्थान।		
		प्रशिक्षण अनुभाग के साथ अपने वार्षिक प्रशिक्षण से गुजरने के लिए रिजर्व लाइनों में प्रतिनियुक्त पुलिस उप-निरीक्षकों के स्थान पर स्थानापन्न व्यवस्था करने की शक्ति।	पुलिस महानिरीक्षक.	पूरी ताकत।
		रेलवे प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के स्थान पर कार्यवाहक पदोन्नति करने की शक्ति।	पुलिस महानिरीक्षक.	पूरी ताकत।
		सार्वजनिक स्वास्थ्य में लाइसेंसधारी के प्रशिक्षण के दौरान यात्रा औषधालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के स्थान पर स्थानापन्न व्यवस्था करने की शक्ति।	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक.	ऐसे मामलों में पूर्ण शक्ति जहां व्यवस्था में सरकार को कोई अतिरिक्त लागत शामिल नहीं है।
18	36	पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त सशस्त्र पुलिस के उप-निरीक्षकों के स्थान पर या तो कार्यवाहक पदोन्नति करने की शक्ति पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, मोरादाबाद,	पुलिस महानिरीक्षक.	पूरी ताकत।

Machine Translated by Google

		या किसी अन्य चयनित केंद्र, उदाहरण के लिए, रेंज मुख्यालय।		
19	40	किसी अस्थायी पद के लिए वेतन निर्धारित करने की शक्ति, जिसे संभवतः सरकारी कर्मचारी द्वारा भरा जाएगा।	कोई भी प्राधिकारी जिसके पास निर्धारित वेतन पर अस्थायी पद सृजित करने की शक्ति है।	पूरी ताकत।
20	46(ए)	किसी सरकारी कर्मचारी को किसी निजी व्यक्ति या निकाय या सार्वजनिक निकाय, जिसमें स्थानीय निधि का प्रबंधन करने वाला निकाय भी शामिल है, के लिए एक निर्दिष्ट सेवा या सेवाओं की श्रृंखला करने की अनुमति देने और यदि सेवा महत्वपूर्ण है, तो पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करने की शक्ति, एक गैर- आवर्ती या आवर्ती शुल्क.	सरकार के विभाग.	पूर्ण शक्ति लेकिन आवर्ती शुल्क के संबंध में, रुपये की सीमा तक। एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 100 प्रति माह।
21	46(ए)	फीस की स्वीकृति स्वीकृत करने की शक्ति,	(1) पुलिस महानिरीक्षक.	आवर्ती शुल्क के संबंध में पूर्ण शक्ति नहीं
		राज्य के राजस्व के अलावा किसी अन्य स्रोत से, पुलिस बल के सदस्यों या लिपिक कर्मचारियों द्वारा अपने सामान्य कर्तव्यों, लिपिक कार्य और सहकारी समितियों के खातों के रखरखाव के दायरे से बाहर काम करने के लिए।	(2) पुलिस उप महानिरीक्षक, आपराधिक जांच विभाग/ खुफिया विभाग, उ.प्र लखनऊ. (3) अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस, इलाहाबाद। (4) प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद।	रुपये से अधिक प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में 10 प्रति माह।
			(5) सभी	

Machine Translated by Google

			उत्तर प्रदेश में जिलों के प्रभारी पुलिस अधीक्षक।	
			(6) कमांडेंट, उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र बल, सीतापुर।	
22	49	किसी सरकारी कर्मचारी को अस्थायी रूप से या एक से अधिक पदों पर कार्य करने के लिए नियुक्त करने और सहायक पदों के लिए वेतन और निकाले जाने वाले प्रतिपूरक भत्तों की राशि तय करने की शक्ति।	सरकार के विभाग.	तीन महीने की अवधि तक, बशर्ते कि उनके पास संबंधित प्रत्येक पद पर एक सरकारी कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त करने की शक्ति हो। अनुमत अतिरिक्त वेतन की राशि इस नियम के तहत राज्यपाल के आदेशों में निर्धारित सीमाओं के अधीन होगी।
22-ए	49	किसी सरकारी कर्मचारी को अस्थायी रूप से या एक से अधिक पदों पर कार्य करने के लिए नियुक्त करने और सहायक पदों के लिए वेतन और निकाले जाने वाले प्रतिपूरक भत्तों की राशि तय करने की शक्ति।	विभागों के प्रमुख.	तीन महीने की अवधि तक, बशर्ते कि उनके पास संबंधित प्रत्येक पद पर एक सरकारी कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त करने की शक्ति हो। अनुमत अतिरिक्त वेतन की राशि इसके अधीन होगी
				इस नियम के तहत राज्यपाल के आदेशों में निर्धारित सीमाएँ।
23	49	सरकारी सेवक को नियुक्त करने की शक्ति	जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	में तीन महीने की अवधि तक

Machine Translated by Google

		अस्थायी रूप से रखना या एक से अधिक पदों पर कार्य करना और सहायक पदों का वेतन और निकाले जाने वाले प्रतिपूरक भत्ते की राशि तय करना।		मंत्रिस्तरीय और अवर का मामला सरकारी सेवकों को, बशर्ते कि उनके पास संबंधित प्रत्येक पद पर एक सरकारी सेवक को स्थायी रूप से नियुक्त करने की शक्ति हो। अनुमत अतिरिक्त वेतन की राशि इस नियम के तहत राज्यपाल के आदेशों में निर्धारित सीमाओं के अधीन होगी।
24	49	किसी सरकारी सेवक को अस्थायी रूप से नियुक्त करने या नियुक्त करने की शक्ति	जिला अधिकारी	अधिकतम तीन माह की अवधि तक, बशर्ते कि-
		एक से अधिक पदों पर कार्य करना और सहायक पदों का वेतन और निकाले जाने वाले प्रतिपूरक भत्ते की राशि तय करना।		(ए) उनके पास दोनों पदों पर स्थायी नियुक्ति करने की शक्ति है, और (बी) अनुमत अतिरिक्त वेतन की राशि इस नियम के तहत राज्यपाल के आदेशों में निर्धारित सीमाओं के अधीन होगी।
25	नियम 54 के तहत राज्यपाल के आदेश 1, 2(ए) और 3.	किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के निलंबन या बर्खास्तगी पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए अतिरिक्त वेतन की वसूली को माफ करने या बट्टे खाते में डालने की शक्ति, जिसे पुनर्विचार या अपील पर निलंबित कर दिया गया है।	सरकार के विभाग, विभागों के प्रमुख और अधीनस्थ पुनरीक्षण और अपीलीय प्राधिकारी।	पूरी ताकत। रुपये की सीमा तक. प्रत्येक मामले में 500, बशर्ते कि इसमें शामिल अवधि छह महीने से अधिक न हो।

Machine Translated by Google

		बहाल.		
26	56(ए)	बनाए रखने की शक्ति 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा में सरकारी कर्मचारी।	(1) सरकार के विभाग। (2) यदि पद रिक्त है तो उसे भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी।	(1) पूर्ण शक्ति। (2) पूर्ण शक्ति, बशर्ते कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को 60 वर्ष की आयु से अधिक सेवा में नहीं रखा जाए।
27	56	58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले इंजीनियर को तीन महीने का सेवा विस्तार देने की शक्ति।	सरकार का लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़कें और सिंचाई शाखाएँ।	पूरी ताकत।
28	73	छुट्टी बढ़ाने की शक्ति. वह प्राधिकारी जिसने छुट्टी दी।		पूरी ताकत। यदि सरकारी कर्मचारी अब छुट्टी देने वाले प्राधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है, तो वह प्राधिकारी, जिसके नियंत्रण में उसे स्थानांतरित किया गया है और जिसके पास ऐसा करने की शक्ति है
				अनुदान अवकाश पूरी शक्ति का प्रयोग करेगा।
29	नियम 89 के अंतर्गत टिप्पणी.	अप्रतिबंधित औसत वेतन पर छुट्टी की अवधि तय करने की शक्ति, जिसे अवकाश विभाग में स्थानांतरित सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने खाते में छुट्टी के साथ लिया जा सकता है।	सरकार के विभाग.	पूरी ताकत।
30	110(सी)	भारत में विदेशी सेवा में स्थानांतरण को मंजूरी देने की शक्ति।	(1) सरकार के विभाग।	(1) पूर्ण शक्ति.
			(2) विभागाध्यक्षों को छोड़कर सचिवों को	(2) उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विदेश सेवा में स्थानांतरण की पूर्ण शक्ति

Machine Translated by Google

			सरकार, और जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में प्रदेश, और भीतर या बाहर अराजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में उत्तर प्रदेश
				जहां उन्हें प्रशासन के सामान्य पाठ्यक्रम में नियुक्ति या स्थानांतरण करने की शक्ति है।
31	125	क के प्रत्यावर्तन की तारीख तय करने की शक्ति विदेश सेवा से छुट्टी के बाद लौट रहे सरकारी कर्मचारी।	(1) सरकार के विभाग।	(1) पूर्ण शक्ति.
			(2) सभी विभागाध्यक्ष।	(2) उनके कार्यालयों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सहायक सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्ति।
			(3) संभागों के आयुक्त।	(3) उनके कार्यालयों और उनके प्रभागों के भीतर जिला कार्यालयों से संबंधित सहायक सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्ति।
32	उत्तर प्रदेश मौलिक नियमावली की अनुसूची में नियमावली का नियम 11।	किसी भी सरकारी सेवक की नियुक्ति के समय उसका निवास स्थान राज्य सरकार द्वारा तय करने की शक्ति।	राज्य सरकार के विभाग.	पूरी ताकत।

कथन IV

Machine Translated by Google

उन प्राधिकारियों को दर्शाने वाला विवरण जिनके पास कुछ नियमों के अंतर्गत शक्तियां हैं सहायक नियम राज्यपाल द्वारा प्रत्यायोजित किये गये हैं

क्रम संख्या	नियम की संख्या शक्ति की प्रकृति		प्राधिकारी जिसे शक्ति सौंपी गई है	प्रत्यायोजित शक्ति की सीमा
1	2	3	4	5
1	4 से 6	कुछ परीक्षाओं की तैयारी के लिए समय देने की शक्ति।	सरकार के विभाग.	पूरी ताकत।
2	18-सी	किसी पद के लिए आवास का आवंटन निलंबित करने की शक्ति.	(1) सरकार के विभाग।	(1) पूर्ण शक्ति.
			(2) विभागाध्यक्ष।	(2) अराजपत्रित पदों पर आवंटित आवासों के संबंध में पूर्ण शक्ति, बशर्ते कि जिस अवधि के लिए आवंटन निलंबित किया गया है वह दो महीने से अधिक न हो।
3	18-डी	विशेष परिस्थितियों में, किसी अधिकारी को उसके द्वारा सरकार को देय किराए से अधिक किराए पर अपना निवास उप-किराए पर देने की अनुमति देने की शक्ति।	सरकार के विभाग.	पूरी ताकत।
4	24	सरकारी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन फीस की स्वीकृति की मंजूरी देने की शक्ति।	(1) स्कूलों के निरीक्षक और कॉलेजों के प्राचार्य।	(1) रुपये की सीमा तक पूर्ण शक्ति। प्रत्येक मामले में स्कूल अवधि के दौरान 250।
			(2) बालिका विद्यालयों की निरीक्षकें।	(2) रुपये की सीमा तक पूर्ण शक्ति। प्रत्येक मामले में एक स्कूल अवधि के दौरान 100।
5	35	अनुदान देने की शक्ति	(i) जिला अधिकारी.	(i) (ए) सदर के लिए प्रस्थान

Machine Translated by Google

		विकलांगता अवकाश के अलावा अन्य अवकाश और गैर-राजपत्रित सरकारी सेवकों, जो विदेश सेवा में नहीं हैं, को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे का अवकाश।		छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए कानूनगो, बशर्ते कि अनुपस्थित व्यक्ति के स्थान पर कार्य करने के लिए एक सरकारी कर्मचारी को नियुक्त करने की स्थानीय व्यवस्था की जा सके।
				(बी) राजस्व प्रधान लिपिकों और कोषागार प्रधान लिपिकों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ मामलों
				जहां वे परिणामी रिक्तियों में स्थानापन्न नियुक्त कर सकते हैं, अर्थात चार महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं।
				(सी) अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों को एक महीने की सीमा तक छुट्टी, बशर्ते कि किसी विकल्प की आवश्यकता न हो।
			(आईए)तहसीलदार	(आईए) अपने तहसीलों के अवर सेवकों को चार महीने से अधिक की अवधि के लिए छुट्टी नहीं देनी चाहिए।
		ध्यान दें- 1 जनवरी 1936 को या उसके बाद सरकार के अधीन किसी सेवा या पद पर भर्ती किए गए सरकारी सेवकों के मामले में, और उन सरकारी सेवकों के मामले में जिन पर मौलिक नियम 81 लागू होता है और जो मौलिक नियम 81 द्वारा शासित होने का चुनाव करते हैं। 1 सितंबर 1949 से संशोधित बी के अनुसार, कॉलम 5 में जहां भी चार महीने की सीमा का उल्लेख किया गया है, उसका मतलब एक सौ बीस दिन माना जाएगा।		
			(ii) पुलिस अधीक्षक,	(ii) पुलिस निरीक्षकों और हवलदारों को एक तक की छुट्टी

Machine Translated by Google

				छह सप्ताह की सीमा, बशर्ते कि अनुपस्थित व्यक्ति के स्थान पर कार्य करने के लिए एक सरकारी कर्मचारी को नियुक्त करने की स्थानीय व्यवस्था की जा सके।
			(iii) विद्यालयों के निरीक्षक, प्रशिक्षण महाविद्यालयों, इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा के प्राचार्य, और बालिका विद्यालयों की निरीक्षक, प्राचार्य, मनोवैज्ञानिक ब्यूरो, इलाहाबाद और अधीक्षक, सुधारक विद्यालय, चुनार।	(iii) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक सेवा के अराजपत्रित सदस्यों को चार महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी।
			(iv) इंटरमीडिएट कॉलेजों को छोड़कर कॉलेजों के प्राचार्य, स्कूलों के निरीक्षक और स्कूलों के सहायक निरीक्षक, कुमाऊं मंडल।	(iv) शिक्षा विभाग के अराजपत्रित सरकारी सेवकों, जिनका वेतन रु. 100 प्रति मासिक.
			(v) पुलिस अधीक्षक।	(v) निरीक्षक स्तर से नीचे के अधीनस्थ पुलिस बल के सदस्यों और कार्यालय प्रतिष्ठान के सदस्यों को सभी प्रकार की छुट्टियाँ।
			(vi) तकनीकी विद्यालयों के प्रधानाचार्य।	(vi) सेवारत अराजपत्रित सरकारी सेवकों को चार महीने से अधिक की छुट्टी नहीं।
				तकनीकी स्कूलों में रुपये से अधिक वेतन पर नहीं। 100 प्रति

Machine Translated by Google

				मासिक.
			(vii) अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क शाखा।	(vii) ऊपरी अधीनस्थों और अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा के सदस्यों को सभी प्रकार की छुट्टियाँ लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क शाखा (मानद सहायक अभियंताओं को छोड़कर)।
			(viii) अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग।	(viii) अधीनस्थ के ऊपरी अधीनस्थ सदस्यों को सभी प्रकार की छुट्टियाँ इंजीनियरिंग सेवा और जिलेदार:
				(ए) जिलेदारों को छुट्टी देने के मामले में।
				छह महीने से अधिक की अवधि के लिए विस्तार या जब अधीक्षण अभियंता अपने सर्कल के भीतर राहत की व्यवस्था करने में असमर्थ है, तो छुट्टी देने से पहले मुख्य अभियंता के आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए।
				(बी) उपविभागों के प्रभारी ऊपरी अधीनस्थों और अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा के सदस्यों के मामले में, सरकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त करने के बारे में मुख्य अभियंता के आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए।
			(ix) अधीक्षण	(ix) सभी प्रकार की छुट्टियाँ

Machine Translated by Google

			इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग।	अपने अधीनस्थों को अपने अधीन करना।
			(x) अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अभियंता।	(x) उनके नियंत्रण में लोक निर्माण विभाग, भवन और सड़क शाखा में सभी प्रकार के कार्यालय और छोटे प्रतिष्ठानों की छुट्टी।
			(xi) अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री।	(xi) सरकारी प्रेस में सहायक अधीक्षक और प्रधान सहायक को सभी प्रकार की छुट्टियाँ।
			(xii) कार्यकारी अभियंता।	(xii) इंजीनियरों को छोड़कर संभागीय प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को सभी प्रकार की छुट्टियाँ।
				सिंचाई विभाग में उप-विभागीय अधिकारी, उप राजस्व अधिकारी, लेखाकार और जिलेदार।
		ध्यान दें - जिलेदारों के मामले में अपवाद चार महीने से अधिक की छुट्टी पर लागू नहीं होता है जब "अनुशंसित अमीन" संबंधित प्रभागों में कार्य करने के लिए उपलब्ध होते हैं।		
			(xiii) कार्यकारी अभियंता, स्थानीय स्व-सरकारी इंजीनियरिंग विभाग।	(xiii) पूर्ण शक्ति।
			(xiv) संभागों के आयुक्त।	(xiv) नायब-तहसीलदारों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ।
			(xv) जिला अधिकारी।	(xv) ऐसे मामलों में नायब तहसीलदारों को छुट्टी दें, जिनमें वे स्थानापन्न नियुक्त कर सकते हैं।
			(xvi) जिला अधिकारी।	(xvi) शिक्षकों एवं सहायक शिक्षकों को अवकाश

Machine Translated by Google

				ऐसे मामलों में जहां शेष कर्मचारी स्कूल का काम कुशलतापूर्वक कर सकते हैं और किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं है, एक महीने से अधिक की अवधि के लिए पटवारी स्कूलों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
			(xvii) के निरीक्षक स्कूल, सहायक के निरीक्षक स्कूल, कुमाऊँ प्रभाग, प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य और सरकार मध्यवर्ती कॉलेज, अल्मोडा, संस्कृत के निरीक्षक पाठशालाएँ, के निरीक्षक	(xvii) शिक्षा विभाग में प्रधान लिपिकों सहित लिपिकों को सभी प्रकार की छुट्टियाँ चार माह से अधिक नहीं।
			गर्ल्स स्कूल, सुपरिटेंडेंट रिफॉर्मेटरी स्कूल, चुनार, सचिव, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षा और अरबी मदरसों और मुहम्मदन स्कूलों के निरीक्षक।	
			(xviii) प्राचार्य, मनोवैज्ञानिक ब्यूरो, इलाहाबाद।	(xviii) ब्यूरो के प्रधान लिपिकों को सभी प्रकार की छुट्टी चार महीने से अधिक नहीं।
			(xix) डिप्टी के निर्देशक कृषि कीट विज्ञानी को सरकार, पर्यावरण-	(xix) विशेष विकलांगता अवकाश के अलावा अन्य अवकाश और तिथि से आगे बढ़ने वाला अवकाश

Machine Translated by Google

			सरकार के लिए नामिक वनस्पतिशास्त्री, कृषि अभियंता, प्राचार्य, कृषि महाविद्यालय, कानपुर, हेड मास्टर, कृषि विद्यालय सरकार के लिए पादप रोगविज्ञानी, प्रभारी अधिकारी, सरकारी अनुसंधान फार्म, कानपुर, अधिकारी - प्रभारी, राजकीय कृषि पुस्तकालय, कानपुर, शासन को कृषि रसायनज्ञ।	उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत गैर-राजपत्रित मंत्रिस्तरीय प्रतिष्ठान को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जिसे कृषि निदेशक द्वारा छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।
			(xx) (i) उप निदेशक उद्यान।	(xx) (i) तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए।
			(ii) कृषि विभाग के बागवानी अनुभाग के सभी राजपत्रित अधिकारी जो उद्यान, अनुसंधान स्टेशनों आदि के प्रभारी हैं।	(ii) कॉलम 4 में उल्लिखित अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत, अधीनस्थ कृषि सेवा के सदस्यों के अलावा, कृषि निदेशक द्वारा नियुक्त सभी अराजपत्रित सरकारी सेवकों के संबंध में छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए नहीं।
			(xxi) कृषि विभाग के बागवानी अनुभाग के सभी राजपत्रित अधिकारी जो उद्यान, अनुसंधान स्टेशनों आदि के प्रभारी हैं।	(xxi) उप निदेशक द्वारा नियुक्त सभी अराजपत्रित सरकारी सेवकों के संबंध में छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए नहीं उनके प्रशासन के अंतर्गत बागवानी

Machine Translated by Google

				नियंत्रण।
			(xxii) उप- विभागीय अधिकारी।	(xxii) तहसीलों में अवर सरकारी सेवकों को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए छुट्टी इस शर्त के अधीन है कि छुट्टी व्यवस्था में किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं है या यदि किसी विकल्प की आवश्यकता है तो वरिष्ठ बेरोजगार अनुमोदित उम्मीदवार को नियुक्त किया जाएगा।
			(xxiii) सहायक बेंत आयुक्त, गन्ना विकास अधिकारी एवं उप गन्ना विकास अधिकारी:	(xxiii) उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मंत्रिस्तरीय प्रतिष्ठानों के गैर- राजपत्रित सदस्यों को छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए छुट्टी नहीं दी जाएगी।
			(xxiv) सभी के आयुक्त प्रभागों में शामिल हैं-	(xxiv) सरकारी कोषाध्यक्षों को छुट्टी दें
			प्रभारी उपायुक्त, कुमाऊँ मण्डल।	दो महीने की अवधि तक अपने प्रभागों में कोषागारों में काम करें।
			(xxv) डिप्टी के निर्देशक कृषि, उप के निर्देशक बागवानी, कीट विज्ञानी को सरकार, सरकार के लिए आर्थिक वनस्पतिशास्त्री, कृषि इंजीनियर, प्रिंसिपल, कृषि कॉलेज, कानपुर, हेड मास्टर्स, कृषि स्कूल, अधिकारी-	(xxv) अधीनस्थ कृषि सेवा के सदस्यों को छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए छुट्टी, इस शर्त पर कि कृषि निदेशक के आदेश उन मामलों में लिए जाएं जहां एक स्थानापन्न व्यक्ति की नियुक्ति की जानी है या एक स्टेशन से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण शामिल है। .

Machine Translated by Google

			प्रभारी, राजकीय अनुसंधान फार्म, कानपुर, शासन को पादप रोगविज्ञानी, प्रभारी अधिकारी राजकीय कृषि पुस्तकालय, कानपुर, शासन को कृषि रसायनज्ञ।	
			(xxvi) सिविल सर्जन और राज्य अस्पतालों के अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षक।	(xxvi) अराजपत्रित नर्सिंग कर्मियों को चार महीने से अधिक की अवधि के लिए छुट्टी, बशर्ते कि सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए की गई व्यवस्था स्थानीय हो और इसमें स्थानांतरण शामिल न हो एक सरकारी कर्मचारी.
			(xxvii) आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के संभागीय एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी।	(xxvii) उनके अधीन काम करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए नहीं, बशर्ते कि संबंधित सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई हो
				स्थानीय हैं और इसमें किसी अन्य सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण या उसके स्थान पर किसी प्रतिस्थापन की नियुक्ति शामिल नहीं है।
			(xxviii) मुख्य परिवीक्षा अधिकारी।	(xxviii) पर छोड़ें रिजर्व ड्यूटी पर प्रोबेशन अधिकारियों के साथ-साथ जिलों से जुड़े प्रोबेशन अधिकारियों को भी

Machine Translated by Google

				अवधि छह सप्ताह से अधिक नहीं.
			(xxix) वन संरक्षक।	(xxix) अपने संबंधित सर्कल में कार्यरत वन रेंजरों को छुट्टी की अवधि सहित चार महीने से अधिक की छुट्टी नहीं।
			(xxx) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (आयुर्वेद) के उप निदेशक।	(xxx) उसके नियंत्रणाधीन संभागीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ।
			(xxxi) जेल उप महानिरीक्षक।	(xxxi) पूर्ण शक्ति।
			(xxxii) अधीक्षक, जिला जेल।	(xxxii) वार्डर और उनके अधीन हेड वार्डर को छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए छुट्टी, इस शर्त के अधीन कि छुट्टी में किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं है व्यवस्था।
			(xxxiii)उप परिवहन आयुक्त।	(xxxiii)जिस कर्मचारी से उनका संबंध है उसके संबंध में पूर्ण शक्ति।
			(xxxiv) मुख्य यांत्रिक अभियंता, रोडवेज सेंट्रल वर्कशॉप, कानपुर।	(xxxiv) पूर्ण शक्ति।
			(xxxv) महाप्रबंधक, रोडवेज।	(xxxv) पूर्ण शक्ति।
			(xxxvi) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी।	(xxxvi) छह सप्ताह तक की अवधि के लिए।

Machine Translated by Google

			(xxxvii) जिला योजना अधिकारी (परियोजना कार्यकारी अधिकारी)।	(xxxvii) अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनसे वे संबंधित हैं, के संबंध में एक माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं।
			(xxxviii) वाराणसी और झाँसी में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उप-क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी।	(xxxviii) केवल छह सप्ताह तक की अवधि के लिए।
			(xxxix) राज्य पशुधन-सह-कृषि फार्मों के फार्म प्रबंधक/फार्म अधीक्षक।	(xxxix) अराजपत्रित सरकारी सेवकों को उनके नियंत्रण में छुट्टी (समूह को छोड़कर)। मैं और समूह II अधिकारी और लेखाकार) 42 दिनों से अधिक की अवधि के लिए, विषय
				इस शर्त पर कि छुट्टी की व्यवस्था में किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं है।
6	36	ऐसे राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को छुट्टी देने की शक्ति जो विदेश सेवा में नहीं है।	(1) सरकार के विभाग।	(1) पूर्ण शक्ति.
			(2) सरकार के सचिव।	(2) सचिवालय के अधीक्षकों को चार महीने तक।
7	36	किसी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को, जो विदेश सेवा में नहीं है, विकलांगता अवकाश के अलावा अन्य अवकाश और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे का अवकाश देने की शक्ति।	नीचे उल्लिखित प्राधिकारी:	प्रत्येक मामले में कॉलम 5 में निर्दिष्ट सरकारी सेवकों के संबंध में नीचे दर्शाई गई सीमा तक।

Machine Translated by Google

			(i) मुख्य न्यायाधीश	(i) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नियुक्त राजपत्रित सरकारी सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्ति।
			(ii) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या ड्यूटी पर वरिष्ठ न्यायाधीश।	(ii) जिले और किसी भी प्रकार की छुट्टी सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पूर्व) एवं (पश्चिम), लखनऊ और सिविल और सत्र न्यायाधीशों की अवधि छह सप्ताह से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए की गई व्यवस्था स्थानीय हो और इसमें किसी अन्य का स्थानांतरण शामिल न हो। सरकारी नौकर। में
				अवकाश विभाग से संबंधित एक सरकारी कर्मचारी के मामले में, कॉलम 4 में उल्लिखित प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार स्वीकृत छुट्टी को छुट्टी के साथ संयोजित करने की अनुमति भी दे सकता है।
			(iii) राजस्व बोर्ड।	(iii) राजस्व बोर्ड के रजिस्ट्रार (जब पद बोर्ड के कार्यालय प्रतिष्ठान के सदस्य द्वारा धारण किया जाता है) और अधीक्षक, राजस्व विभाग, बोर्ड कार्यालय के संबंध में पूर्ण शक्ति। यदि रजिस्ट्रार का पद है

Machine Translated by Google

				एक सदस्य द्वारा आयोजित
				पीसीएस के कॉलम 4 में उल्लिखित प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी भी दे सकता है, बशर्ते कि बोर्ड के सदस्य की अस्थायी पदोन्नति द्वारा सरकारी कर्मचारी के कर्तव्यों को पूरा करने की व्यवस्था की जाए। कार्यालय स्थापना और उनमें किसी अन्य पीसीएस अधिकारी का स्थानांतरण शामिल नहीं है।
			(iv) राजस्व बोर्ड।	(iv) के मामले में निपटान अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारियों
				और निपटान कर्तव्य पर उप समाहर्ता, छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी, बशर्ते कि उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई हो सरकारी कर्मचारी स्थानीय हैं और किसी अन्य सरकार के स्थानांतरण में शामिल नहीं हैं नौकर.
			(v) पुलिस महानिरीक्षक।	(v) पुलिस के राजपत्रित सरकारी सेवकों को किसी भी प्रकार की छुट्टी छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए विभाग, प्रदान किया गया

Machine Translated by Google

				के कर्तव्यों को निभाने के लिए जो व्यवस्था की गई है
				सरकारी कर्मचारी स्थानीय हैं और उनका स्थानांतरण शामिल नहीं है एक सरकारी कर्मचारी. अवकाश विभाग से संबंधित सरकारी कर्मचारी के मामले में, कॉलम 4 में उल्लिखित प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत अवकाश को अवकाश के साथ संयोजित करने की अनुमति भी दे सकते हैं।
			(vi) पंजीकरण महानिरीक्षक।	(vi) पंजीकरण विभाग के राजपत्रित सरकारी सेवकों को उपरोक्त कॉलम 5 में उप-मद (v) के तहत उल्लिखित शर्तों के अधीन किसी भी प्रकार की छुट्टी।
			(vii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक।	(vii) (ए) प्रांतीय चिकित्सा सेवा अधिकारियों, ग्रेड II और प्रांतीय नर्सिंग सेवा अधिकारियों को छोड़कर चिकित्सा विभाग और रासायनिक परीक्षक विभाग के राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की छुट्टी, सीमा तक और उप-मद के सामने उल्लिखित शर्तों के अधीन। (v) ऊपर कॉलम 5 में।

Machine Translated by Google

				(बी) प्रांतीय चिकित्सा सेवा अधिकारियों, ग्रेड II और प्रांतीय नर्सिंग सेवा अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियां।
			(vii-ए) सिविल सर्जन और राज्य अस्पतालों के अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षक।	(vii-ए) नर्सिंग स्टाफ के राजपत्रित सदस्यों को छह सप्ताह से अधिक की छुट्टी नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि कोई नियमित स्थानापन्न नियुक्त न किया गया हो।
			(viii) कारागार महानिरीक्षक।	(viii)(ए) प्रांतीय चिकित्सा सेवा अधिकारियों, ग्रेड II, केंद्रीय जेलों के उपाधीक्षकों और जेल विभाग के जेलरों को छोड़कर, राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की छुट्टी, सीमा तक और शर्तों के अधीन उपरोक्त कॉलम 5 में उप-मद (v) के सामने उल्लिखित है।
				(बी) जेल विभाग में प्रांतीय चिकित्सा सेवा अधिकारियों, ग्रेड II, केंद्रीय कारागारों के उपाधीक्षकों और जेलरों के संबंध में पूर्ण शक्तियां।
			(ix) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक।	(ix) (ए) अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों, ग्रेड I के संबंध में पूर्ण शक्ति।
				(बी) किसी भी प्रकार की छुट्टी

Machine Translated by Google

				अधीनस्थ के अलावा अपने विभाग के राजपत्रित सरकारी सेवकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अधिकारी, ग्रेड I, हद तक और
				नीचे उप-मद (x) से (xiii) के सामने उल्लिखित शर्तों के अधीन।
			(x) शिक्षा निदेशक।	(x) से (xiii) अपने विभागों के राजपत्रित सरकारी सेवकों को छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी, बशर्ते कि संबंधित सरकारी सेवक के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए की गई व्यवस्था स्थानीय हो और इसमें सरकार का स्थानांतरण शामिल न हो नौकर.
			(xi) कृषि निदेशक।	
			(xii) उद्योग निदेशक।	ए के मामले में ए से संबंधित सरकारी कर्मचारी
			(xiii) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ।	अवकाश विभाग, कॉलम 4 में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत अवकाश को अवकाश के साथ संयोजित करने की अनुमति भी दे सकता है।
			(xiv) मुख्य वन संरक्षक।	(xiv) राजपत्रित अधिकारियों को छोड़कर अन्य को छुट्टी के अधिकारियों के मामले में संरक्षक, तीन महीने से कम की अवधि के लिए भारतीय वन सेवा और चार महीने तक

Machine Translated by Google

				प्रांतीय अधिकारियों के मामले में वन सेवा, बशर्ते कि-
				(i) ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था
				अनुपस्थित व्यक्ति के कर्तव्यों पर पैराग्राफ के तहत उसके द्वारा कार्रवाई की जा सकती है 81-ए(1) वन का सरकार के संदर्भ के बिना मैनुअल, और
				(ii) ऐसे कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रतिनियुक्त किसी भी अधिकारी के वेतन में कोई वृद्धि शामिल नहीं है।
				नोट- सरकारी सेवकों के मामले में प्रांतीय वन सेवा जो पर या उसके बाद भर्ती की जा सकती है 1 जनवरी, 1936, या के मामले में सरकारी कर्मचारी जिनके लिए मौलिक हैं नियम 81 लागू होता है और कौन
				1 सितंबर 1949 से संशोधित मौलिक नियम 81-बी द्वारा शासित होने के लिए चुने जाने पर, चार महीने की सीमा का मतलब एक सौ बीस दिन माना जाएगा।
			(xv) उत्पाद शुल्क आयुक्त।	(xv) उत्पाद शुल्क के राजपत्रित सरकारी सेवकों के मामले में, छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए नहीं विभाग द्वारा प्रदान किया गया

Machine Translated by Google

				के कर्तव्यों को निभाने के लिए की गई व्यवस्था संबंधित सरकारी कर्मचारी स्थानीय हैं और उनमें दूसरे का स्थानांतरण शामिल नहीं है सरकारी नौकर।
			(xvi) सतर्कता निदेशक।	(xvi) यूपी विजिलेंस के राजपत्रित सरकारी सेवकों को किसी भी प्रकार की छुट्टी छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए स्थापना बशर्ते कि कर्तव्यों को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई हो सरकारी कर्मचारी स्थानीय हैं और उनका स्थानांतरण शामिल नहीं है एक सरकारी कर्मचारी.
			(xvi) ए- डिविजनों के आयुक्त।	(xvi) ए-(ए) तहसीलदारों के संबंध में पूर्ण शक्ति।
				(बी) डिप्टी कलेक्टरों और न्यायिक को एक महीने से अधिक की अवधि के लिए छुट्टी नहीं
				अधिकारियों को एक साथ सरकार को सूचित करना।
			(xvii) जिला अधिकारी।	(xvii) (i) उनके अधीन राजपत्रित अधिकारियों को छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए छुट्टी नहीं दी जाएगी जब सरकार को एक साथ सूचित करने के लिए किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं होगी।
				(ii) जिन मामलों में वे तहसीलदारों को छोड़ देते हैं

Machine Translated by Google

				स्थानापन्न नियुक्त कर सकते हैं।
				(iii) जिला सूचना अधिकारी को एक महीने की सीमा तक छुट्टी, जब किसी विकल्प की आवश्यकता न हो।
			(xviii) भूमि अभिलेख निदेशक।	(xviii) भूमि अभिलेख के राजपत्रित सरकारी सेवकों को किसी भी प्रकार की छुट्टी छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए विभाग, बशर्ते कि संबंधित सरकारी कर्मचारी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए की गई व्यवस्था स्थानीय हो और इसमें किसी अन्य का स्थानांतरण शामिल न हो सरकारी नौकर। अवकाश विभाग से संबंधित सरकारी कर्मचारी के मामले में कॉलम 4 में उल्लिखित प्राधिकारी भी अनुमति दे सकता है
				सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार स्वीकृत छुट्टी को छुट्टी के साथ जोड़ना होगा।
			(xix) पशुपालन निदेशक।	(xix) पशु के राजपत्रित सरकारी सेवकों को छुट्टी कृषि छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए विभाग ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए व्यवस्था प्रदान की संबंधित सरकारी कर्मचारी स्थानीय हैं

Machine Translated by Google

				और इसमें दूसरे का स्थानांतरण शामिल नहीं है किसी बाहरी स्थान से सरकारी कर्मचारी।
			(xx) प्रमुख इंजीनियर, जनता कार्य विभाग (इमारतें	(xx) (ए) सहायक के संबंध में पूर्ण शक्तियां इंजीनियर्स
			और सड़क), सिंचाई विभाग और बिजली विभाग।	और लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़कें), सिंचाई विभाग और बिजली विभाग के समकक्ष या निम्न रैंक के अन्य राजपत्रित सरकारी कर्मचारी।
				(बी) लोक निर्माण के राजपत्रित सरकारी सेवकों के संबंध में छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए नहीं विभाग (भवन एवं सड़कें), सिंचाई विभाग और बिजली विभाग, सहायक से उच्च रैंक का इंजीनियरों ने प्रदान किया
				संबंधित सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए की गई व्यवस्थाएं स्थानीय हैं और इसमें किसी अन्य सरकार का स्थानांतरण शामिल नहीं है नौकर.
			(xxi) आयुक्त एवं अध्यक्ष, राज्य संग्रहालय समिति, लखनऊ।	(xxi) अधिकतम छह सप्ताह की अवधि तक छुट्टी क्यूरेटर, राज्य संग्रहालय, लखनऊ, इस शर्त पर कि

Machine Translated by Google

				क्यूरेटर के कर्तव्यों को निभाने की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाती है और इसमें किसी अन्य सरकार का स्थानांतरण शामिल नहीं होता है नौकर.
			(xxii) मुख्य अभियंता, स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग।	(xxii) (ए) सहायक अभियंताओं और समकक्ष या निम्न रैंक के अन्य राजपत्रित सरकारी सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्तियां।
				(बी) सहायक अभियंताओं से उच्च रैंक के राजपत्रित सरकारी सेवकों के संबंध में छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए नहीं; बशर्ते कि संबंधित सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों को निभाने के लिए की गई व्यवस्था स्थानीय हो और इसमें किसी अन्य सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण शामिल न हो।
			(xxiii) ग्रामीण विकास अधिकारी।	(xxiii) पर छोड़ें संभागीय छह से अधिक अवधि के लिए अपने विभाग के अधीक्षक सप्ताह, बशर्ते कि उनके कर्तव्यों को निभाने के लिए की गई व्यवस्था स्थानीय हो और इसमें दूसरे का स्थानांतरण शामिल न हो सरकारी नौकर।
			(xxiv) शिक्षा निदेशक।	(xxiv) सरकारी उच्च और सामान्य विद्यालयों के अधीनस्थ राजपत्रित प्रधानाध्यापकों के संबंध में पूर्ण शक्ति,

Machine Translated by Google

				और स्कूलों के उप निरीक्षक।
			(xxv) गन्ना आयुक्त।	(xxv) विकलांगता अवकाश के अलावा अन्य अवकाश और तिथि से आगे बढ़ने वाले अवकाश
				राजपत्रित अवधि के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति छह सप्ताह से अधिक नहीं होगी गन्ना विकास विभाग के सरकारी कर्मचारी जो विदेश सेवा में नहीं हैं, बशर्ते कि सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों को निभाने के लिए की गई व्यवस्था स्थानीय हो और इसमें सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण शामिल न हो।
			(xxvi) प्राचार्य, यू. पी. पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा।	(xxvi) सभी राजपत्रित सरकारी सेवकों को छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी
				यूपी पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय-सह-पशुधन अनुसंधान स्टेशन-सह-जिला डेयरी प्रदर्शन फार्म, मथुरा की संयुक्त संस्था, बशर्ते कि संबंधित सरकारी कर्मचारी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए की गई व्यवस्था स्थानीय हो और इसमें स्थानांतरण शामिल न हो का

Machine Translated by Google

				किसी बाहरी स्थान से कोई अन्य सरकारी कर्मचारी।
			(xxvii) परिवहन आयुक्त।	(xxvii) सभी राजपत्रित सरकारी सेवकों को किसी भी प्रकार की छुट्टी
				छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए परिवहन संगठन, बशर्ते कि संबंधित सरकारी कर्मचारी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए की गई व्यवस्था स्थानीय हो और इसमें किसी अन्य सरकारी कर्मचारी का बाहरी स्थान से स्थानांतरण शामिल न हो।
			(xxviii) डिप्टी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक (आयुर्वेद)	(xxviii) प्रबंधक, राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसी के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ।
			(xxix) सचिव, उत्तर प्रदेश विधानमंडल।	(xxix) छह से अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी
				विधानमंडल के राजपत्रित सरकारी सेवक को सप्ताह विधानसभा और विधान परिषद सचिवालयों ने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए जो व्यवस्थाएँ कीं, वे प्रदान की गईं सरकारी कर्मचारी स्थानीय होते हैं और उनमें किसी अन्य सरकार का स्थानांतरण शामिल नहीं होता है नौकर.
			(xxx) विद्युत इंस्पेक्टर को	(xxx) सहायक के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ

Machine Translated by Google

			सरकार।	उनके अधीन कार्यरत विद्युत निरीक्षक एवं सहायक अभियंता।
			(xxxi) विकास आयुक्त।	(xxxi) राजपत्रित होने तक छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए नहीं
				उनके विभाग के सरकारी कर्मचारियों ने बशर्ते कि सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए की गई व्यवस्था स्थानीय हो और इसमें किसी का स्थानांतरण शामिल न हो सरकारी नौकर।
			(xxxii) निदेशक, सरकारी सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क।	(xxxii) फैक्ट्री में राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी, बशर्ते कि उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए की गई व्यवस्था स्थानीय हो और इसमें दूसरे का स्थानांतरण शामिल न हो सरकारी नौकर।
			(xxxiii) पंचायत निदेशक।	(xxxiii) सहायक जिला पंचायत अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ।
			(xxxiv) अधीक्षण अभियंता, सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग।	(xxxiv) पर छोड़ें सहायक अभियंता छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए नहीं, बशर्ते कि उन्हें किसी स्थानापन्न की आवश्यकता के बिना और दोहरे प्रभार के अनुदान के बिना स्थानीय व्यवस्था द्वारा कार्यमुक्त किया जा सके।

Machine Translated by Google

				दूसरे अधिकारी को भत्ता.
			(xxxv) निदेशक, आर्थिक आसूचना एवं सांख्यिकी।	(xxxv) उसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राजपत्रित सरकारी सेवकों को छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए प्रदान नहीं किया गया
				कि संबंधित सरकारी सेवकों के कर्तव्यों को निभाने के लिए की गई व्यवस्था स्थानीय है और इसमें किसी अन्य सरकारी सेवक का स्थानांतरण या उसके स्थान पर किसी प्रतिस्थापन की नियुक्ति शामिल नहीं है।
			(xxxvi) मुख्य न्यायाधीश, अवध का मुख्य न्यायालय।	(xxxvi) जिले और किसी भी प्रकार की छुट्टी सत्र न्यायाधीश और सिविल और सत्र अवध में न्यायाधीशों ने छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए व्यवस्थाएं प्रदान कीं
				स्थानीय हैं और इसमें किसी अन्य सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण शामिल नहीं है। अवकाश विभाग से संबंधित सरकारी कर्मचारी के मामले में, कॉलम 4 में उल्लिखित प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार स्वीकृत छुट्टी को छुट्टी के साथ संयोजित करने की अनुमति भी दे सकता है।

Machine Translated by Google

			(xxxvii) सभी विभागाध्यक्ष।	(xxxvii) (1) सरकारी कर्तव्यों को पूरा करने की व्यवस्था की शर्त पर साठ दिनों की अवधि तक किसी भी प्रकार की छुट्टी नौकर स्थानीय स्तर पर बनाया जाता है और नहीं भी
				किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति/स्थानांतरण शामिल हो।
				(2) मेडिकल सर्टिफिकेट पर तीन महीने तक की छुट्टी।
8	35 और 36	भारत में विदेश सेवा में राजपत्रित या अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को विकलांगता अवकाश के अलावा अन्य अवकाश और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे का अवकाश देने की शक्ति।	(1) विदेशी नियोक्ता।	(1) अधिकतम चार महीने के औसत वेतन पर छुट्टी देने की पूर्ण शक्ति।
			(2) वह प्राधिकारी जिसने विदेशी सेवा में स्थानांतरण को मंजूरी दी।	(2) पूर्ण शक्ति, यदि विदेश सेवा में स्थानांतरण सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था तो सरकार के प्रशासनिक विभाग के पास छुट्टी देने की पूर्ण शक्ति है।
				ध्यान दें-के मामले में सरकारी सेवकों को भर्ती किया गया प्रांतीय विशेषज्ञ एवं अधीनस्थ पर या उसके बाद सेवाएँ 1 जनवरी 1936 चार महीने की सीमा

Machine Translated by Google

				120 दिन का मतलब निकाला जाएगा।
9	35 और 36	यदि विदेशी नियोक्ता भुगतान करता है तो भारत से बाहर विदेशी सेवा में कार्यरत राजपत्रित या अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को छुट्टी देने की शक्ति सरकार नियम 123 के उपनियम (बी) के तहत अंशदान छोड़ती है मौलिक नियम	विदेशी नियोक्ता.	चार महीने से अधिक न होने वाले औसत वेतन पर छुट्टी देने की पूर्ण शक्ति। ध्यान दें-के मामले में सरकारी सेवकों को भर्ती किया गया प्रांतीय, विशेषज्ञ और अधीनस्थ पर या उसके बाद सेवाएँ 1 जनवरी 1936 को 4 माह की सीमा होगी
		उत्तर प्रदेश मौलिक नियमावली, जैसी भी स्थिति हो।		120 दिन का मतलब निकाला जाए
10	39	नियम 38 के परंतुक (ए) को किसी भी विशेष में माफ करने की शक्ति मामला।	समस्त विभागाध्यक्ष ।	पूरी ताकत।
11	39	नियम 38 के परंतुक (ए) को किसी भी विशेष में माफ करने की शक्ति मामला।	(i) जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	(i) मंत्रालयिक और अवर कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।
			(ii) जिला अधिकारी। (ii) अराजपत्रित सरकारी सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्ति, जिन्हें वे छुट्टी देने में सक्षम हैं।	
12	40	किसी भी स्थिति में छुट्टी से पहले छुट्टियाँ जोड़ने या छुट्टी से पहले छुट्टियाँ जोड़ने या कार्यभार ग्रहण करने के समय को अलग करने या रद्द करने की शक्ति।	छुट्टी या स्थानांतरण स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।	पूरी ताकत।
13	43	किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र स्वीकार करने की शक्ति	वह प्राधिकारी जिसके नियंत्रण में सरकारी कर्मचारी को नियोजित किया जाना है	पूरी ताकत।

Machine Translated by Google

		एक अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी पर लौटने की उपयुक्तता के प्रमाण के रूप में।	छुट्टी से वापसी.	
14	45	किसी सरकारी कर्मचारी को स्वास्थ्य कारणों से दी गई छुट्टी से ड्यूटी पर लौटने के लिए फिटनेस का मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता करने की शक्ति, भले ही ऐसी छुट्टी मेडिकल प्रमाण पत्र पर नहीं दी गई हो।	वह प्राधिकारी जिसने छुट्टी दी।	ठीक इसी तरह.
15	100	किसी सरकारी कर्मचारी को छुट्टी देने की शक्ति	(1) विभागों के प्रमुख और समकक्ष स्थिति के अन्य प्राधिकारी।	(1) सरकारी सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ जिन्हें वे प्रदान करते हैं हैं
		जिसके बारे में एक चिकित्सा समिति ने रिपोर्ट दी है कि इस बात की कोई उचित संभावना नहीं है कि वह कभी भी ड्यूटी पर लौटने के लिए फिट हो सकेगा।		छुट्टी देने में सक्षम.
			(2) जिला अधिकारी। (2) अराजपत्रित	सरकारी सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्ति, जिन्हें वे छुट्टी देने में सक्षम हैं।
16	100	ठीक इसी प्रकार से	जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	मंत्रिस्तरीय और अवर सरकार के संबंध में पूर्ण शक्ति नौकर.
17	138	किसी के चरित्र के व्यक्तिगत प्रमाण पत्र की अनुमति देने की शक्ति सरकारी सेवक को सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाना है।	विभागों के प्रमुख.	पूरी ताकत।

Machine Translated by Google

18	138	किसी के चरित्र के व्यक्तिगत प्रमाण पत्र की अनुमति देने की शक्ति सरकारी सेवक को सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाना है।	जिला एवं सत्र न्यायाधीश.	अनुसचिवीय एवं अनुचर कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ।
19	अध्याय XII, भाग III के नीचे सामान्य नोट (1)।	अनिश्चितता के मामलों में यह निर्णय लेने की शक्ति कि क्या सरकारी कर्मचारी को उस पद से जुड़ा प्रतिपूरक भत्ता दिया जाना चाहिए जिसे वह छुट्टी पर या अस्थायी ड्यूटी पर जाने पर खाली करता है।	सरकार के विभाग.	पूरी ताकत
20	153	(1) सरकारी स्कूलों में उन मालकिनों को तीन महीने तक पूरे वेतन पर मातृत्व अवकाश देने की शक्ति, जिनका वेतन रुपये से अधिक नहीं है। 100.	स्कूलों की सर्किल इंस्पेक्टर	पूरी ताकत
		(2) अराजपत्रित कर्मचारियों को तीन महीने तक पूर्ण वेतन पर मातृत्व अवकाश देने की शक्ति	सिविल सर्जन और राज्य चिकित्सा सेवा के चिकित्सा अधीक्षक।	ठीक इसी तरह.
		नर्सें और उनके अधीन अन्य अराजपत्रित अवर सरकारी कर्मचारी।		
21	154	महिला सरकारी कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति मातृत्व अवकाश की निरंतरता.	प्राधिकरण को क्रम संख्या के तहत छुट्टी देने का अधिकार है। इसमें से 5 से 7 कथन।	पूरी ताकत
22	157(ए)(बी) 157ए(1),(2),(3)	अन्य अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति	प्राधिकरण को अनुदान देने का अधिकार है	ठीक इसी तरह.

Machine Translated by Google

		किसी अस्थायी या स्थानापन्न सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे तक असाधारण छुट्टी और छुट्टी।	क्रमांक के अंतर्गत छोड़ें। इसमें से 5 से 7 कथन।	
22-ए	157(सी) 157ए(4)	असाधारण छुट्टी देने की शक्ति, जिसका विस्तार इससे अधिक नहीं होगा	(1) प्राधिकरण को अनुदान देने का अधिकार सीरियल के तहत छोड़ें	(1) सामान्यतः एक समय में तीन महीने तक और अधिकतम तक
		अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि.	संख्या इसमें से 5 से 7 कथन।	तपेदिक या कुष्ठ रोग के मामलों में एक बार में बारह महीने।
			(2) विभागाध्यक्ष।	(2) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर एक समय में छह महीने तक और तपेदिक या कुष्ठ रोग के मामलों में बारह महीने से अधिक लेकिन एक समय में अठारह महीने से अधिक नहीं।
			(3) सरकार के विभाग।	(3) भारत या विदेश में अध्ययन के मामलों में एक समय में बारह महीने तक।
23	159	लोक निर्माण विभाग के अस्थाई अभियंता को अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति।	भवन और सड़क और सिंचाई शाखाओं में सरकार का लोक निर्माण विभाग।	पूरी ताकत।
24	161ए	सहायक के अनुसार छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति नियम 161-ए से स्थानीय बोर्ड स्थानीय मध्य विद्यालयों के सहायक शिक्षकों की नियुक्ति	विद्यालयों के संभागीय निरीक्षक।	पूरी ताकत।

Machine Translated by Google

		लड़कों के लिए सरकारी सामान्य स्कूलों या सरकारी केंद्रीय प्रशिक्षण स्कूलों से जुड़े मॉडल स्कूलों में शिक्षकों के रूप में।		
25	166	ड्यूटी पर चोट लगने के कारण काम से अनुपस्थित रहने वाले सरकारी कर्मचारी को तीन महीने से अधिक लेकिन छह महीने से अधिक की छुट्टी देने की शक्ति।	(1) सरकार के विभाग।	ठीक इसी तरह.
			(2) विभागाध्यक्ष।	ठीक इसी तरह.
26	176	सामान्यतः यात्रा करने वाले मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग से शामिल होने के समय की गणना की अनुमति देने की शक्ति उपयोग।	विभागों के प्रमुख.	पूरी ताकत।
27	184	कुछ शर्तों पर अधिकतम 30 दिनों के अधीन कार्यभार ग्रहण समय बढ़ाने की शक्ति।	(1) सरकार के विभाग।	(1) डिट्टो।
			(2) विभागाध्यक्ष।	(2) प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं के सदस्यों के संबंध में पूर्ण शक्ति।
28	187	तराई में रहने वाले पटवारियों को, जो अन्यथा योग्य हों, आयु-सीमा से छूट देने की शक्ति।	प्रभारी उपायुक्त, कुमाऊँ मण्डल।	जहां तक तराई एवं भाबर सरकारी संपदा में रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर उनकी नियुक्ति का प्रश्न है।

Machine Translated by Google

29	191	का मुख्यालय निश्चित करने या बदलने की शक्ति	(1) पंजीकरण महानिरीक्षक।	(1) पूर्ण शक्ति.
		स्टाम्प एवं पंजीकरण निरीक्षक।		
		संभागीय उद्योग अधीक्षकों का मुख्यालय नियत करने अथवा परिवर्तित करने की शक्ति।	(2) उद्योग निदेशक।	(2) पूर्ण शक्ति ।
		उद्योग विभाग के परिवर्ती अमले का मुख्यालय बदलने की शक्ति।	(3) डिट्टो।	(3) डिट्टो।
30	193	(1) किसी सरकारी कर्मचारी को भारत के किसी भी हिस्से में ड्यूटी पर जाने के लिए अधिकृत करने की शक्ति, चाहे वह राज्य की सीमा के भीतर हो या बाहर।	(1) सरकार के विभाग।	(1) डिट्टो।
			(2) उद्योग निदेशक।	(2) उसके नियंत्रणाधीन उद्योग विभाग के सरकारी सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ।
			(3) सांख्यिकी निदेशक।	(3) के संबंध में पूर्ण शक्ति सांख्यिकीविद
			(4) पुलिस उपमहानिरीक्षक.	(4) अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ।
			(5) उत्पाद शुल्क आयुक्त।	(5)आबकारी विभाग के शासकीय सेवकों के संबंध में पूर्ण अधिकार।
			(6) निदेशक	(6) पूर्ण शक्तियाँ

Machine Translated by Google

			चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ.	अपने अधीन सरकारी सेवकों का सम्मान करें।
			(7) मुख्य वन संरक्षक।	(7) केवल अपनी दिल्ली यात्रा के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ और वन के सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ भारत के किसी भी हिस्से में ड्यूटी पर यात्रा के लिए उनके अधीनस्थ विभाग
				चाहे वह सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो या बाहर।
			(8) कृषि निदेशक.	(8) अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्ति, बशर्ते कि जब ड्यूटी अध्ययन या प्रशिक्षण के संबंध में हो, तो शक्ति का प्रयोग इस शर्त के अधीन होगा कि सरकारी सेवक प्रशिक्षण के दौरान अपना मूल वेतन प्राप्त करेंगे और नहीं उनकी अनुपस्थिति की अवधि के लिए स्थानापन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है।
			(9) पशुपालन निदेशक।	(9) सरकार के संबंध में पूर्ण शक्ति
				उसके अधीनस्थ सेवकों को बशर्ते कि जब कर्तव्य अध्ययन या प्रशिक्षण के संबंध में हो, तो शक्ति का प्रयोग इन शर्तों के अधीन होगा कि

Machine Translated by Google

				सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षण के दौरान अपना पर्याप्त वेतन प्राप्त करते हैं और उनकी अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई स्थानापन्न नियुक्त नहीं किया जाता है।
			(10) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां।	(10) डिट्टो।
			(11) मुख्य अभियंता, भवन एवं सड़क शाखा।	(11) जनता के सरकारी सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्ति कार्य विभाग के अधीनस्थ
				भारत के किसी भी हिस्से में ड्यूटी पर यात्रा के संबंध में।
			(12) पुलिस महानिरीक्षक.	(12) उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारियों को भारतीय संघ के किसी भी भाग में ड्यूटी पर यात्रा के संबंध में पूर्ण शक्ति।
			(13) मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग।	(13) भारत के किसी भी हिस्से में ड्यूटी पर यात्रा के संबंध में अपने अधीनस्थ सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।
			(14) बंदोबस्त आयुक्त.	(14) बंदोबस्त अधिकारियों और रोस्टर अधिकारियों को आगे बढ़ने के लिए अधिकृत करने की शक्ति नैनीताल
				और उनके साथ व्यक्तिगत चर्चा के लिए उनके अधिकार क्षेत्र से परे अन्य स्थान।
			(15) प्रशासक	(15) शक्ति को

Machine Translated by Google

			सामान्य एवं आधिकारिक ट्रस्टी.	अपने स्टाफ के किसी भी सदस्य को उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर या बाहर भारत के किसी भी हिस्से में ड्यूटी पर जाने के लिए अधिकृत करें।
			(16) मुख्य अभियंता, स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग।	(16) भारत के किसी भी हिस्से में ड्यूटी पर यात्रा के संबंध में उसके अधीनस्थ स्थानीय स्व-सरकारी इंजीनियरिंग विभाग के सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।
			(17) कानूनी स्मरणकर्ता।	(17) के संबंध में पूर्ण शक्ति वकील
				जनरल और उनके कनिष्ठों को भारत के किसी भी हिस्से में सरकारी काम के सिलसिले में जाने के लिए।
			(18) आर्थिक सलाहकार एवं सांख्यिकी निदेशक।	(18) अपने अधीनस्थ आर्थिक खुफिया सेवा के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।
			(19) शिक्षा निदेशक।	(19) रजिस्ट्रार को अधिकृत करने की शक्ति, विभागीय परीक्षाएँ, उत्तर यदि आवश्यक हो तो उत्तर प्रदेश की सीमा से परे ड्यूटी पर जाना, लेकिन एक बार से अधिक नहीं वर्ष।
			(20) डिप्टी पुलिस महानिरीक्षक,	(20) राजपत्रित के संबंध में पूर्ण शक्ति
			सीआईडी, और	के पुलिस अधिकारी

Machine Translated by Google

			गुप्तचर विभाग उत्तर प्रदेश।	सीआईडी और खुफिया विभाग.
			(21) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।	(21) अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।
			(22) सचिव यू. पी. विधायिका.	(22) उसके नियंत्रण में सरकारी सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्ति, बशर्ते कि अधिकारियों के यात्रा भत्ते की लागत स्वीकृत आवंटन में बचत से पूरी की जाए।
			(23) चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	(23) उसके नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्ति।
			(24) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग।	(24) सरकार के संबंध में पूर्ण शक्ति
				नौकर जिनके लिए वह टीए के तहत नियंत्रण अधिकारी हैं नियम।
			(25) सचिव, लोक सेवा आयोग।	(25) डिट्टो।
	193	(ii) सरकारी सेवकों को, जो इसके सदस्य हैं, अनुमति देने की शक्ति की संस्था इंजीनियर्स, भारत के, या उत्तर प्रदेश के उस संस्था की एसोसिएशन को क्रमशः संस्था या एसोसिएशन और सरकार की सामान्य बैठकों में भाग लेना होगा	(1) अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग।	(1) अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्ति। सभी स्वीकृतियों को सूचना हेतु संबंधित मुख्य अभियंताओं को सूचित किया जाना चाहिए।

Machine Translated by Google

		सेवक जो इसके सदस्य हैं की परिषद संस्था या का कार्यकारिणी की समिति एसोसिएशन की बैठकों में भाग लेने के लिए		
		क्रमशः परिषद या कार्यकारी समिति की।		
			(2) मुख्य अभियंता, स्थानीय स्वशासन अभियांत्रिकी विभाग।	(2) अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्ति।
		(iii) किसी सरकारी कर्मचारी को किसी सम्मेलन, सेमिनार, कांग्रेस, कार्यशाला, समिति या बैठक में भाग लेने के लिए भारत के किसी भी हिस्से में ड्यूटी पर जाने की अनुमति देने की शक्ति।	विभागाध्यक्ष.	अपने अधीनस्थ राजपत्रित और अराजपत्रित सरकारी सेवकों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ, बशर्ते कि सम्मेलन, कांग्रेस, सेमिनार, कार्यशाला, समिति या बैठक में भागीदारी सार्वजनिक हित में हो और इसमें संबंधित सरकारी सेवक की अनुपस्थिति शामिल न हो। दस दिनों से अधिक समय तक मुख्यालय।